अन्य विशेषताओं जैसे संसाधनों की स्थायी निधियों में भिन्नता, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता में असमानता, भू-आकृतिक कारक तथा भौगोलिक दशाओं के कारण मन्दता आती है।

(घ) नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र ने सहकारी संघवाद के ढांचे का सुझाव दिया है जिसमें पड़ोसी राज्य समन्वित तरीके से, अपने-अपने पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु साझा रणनीतियां अपनायेंगे। पिछड़े क्षेत्रों में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने तथा परिवहन एवं संचार के संदर्भ में सुधरी हुयी सम्पर्कता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र एवं शेष राष्ट्र के मध्य एकता की भावना में वृद्धि करने पर जोर दिया गया है;

गुजरात को आर्थिक सहायता

270. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता धनराशि में केवल दस प्रतिशत की वृद्धि की गई थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात को प्रदान की गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष-वार कितनी सहायता धनराशि की वृद्धि की गई;

(घ) क्या उक्त वर्षों के दौरान औद्योगिक श्रम लागत सूचकांक लगातार बढ़ा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त औद्योगिक श्रम लागत सूचकांक में वर्ष-वार हुई वृद्धि-दर कितनी थी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देवेन्द्रप्पा सवनूर): (क) से (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात सरकार को योजना अवधि हेतु तय 995.05 करोड़ रु० की राशि के मुकाबले 1385.49 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी। सहमति स्तर की तुलना में केन्द्रीय सहायता में वास्तविक वृद्धि 39.23 प्रतिशत बैठती है, आठवीं योजना के दौरान राज्य को दी गयी निबल सामान्य केन्द्रीय सहायता के वर्ष वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	निबल सामान्य केन्द्रीय सहायता (रु० करोड़)
1992-93	174.79
1993-94	235.00
1994-95	246.69
1995-96	331.08
1996-97	397.93
	1385.49

(ग) योजना आयोग राज्यों की वार्षिक योजनाओं को ब्लॉक अनुदान एवं ऋण प्रदान करता है, वह कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करता है;

(घ) और (ङ) आठवीं योजना हेतु औद्योगिक श्रम लागत अनुक्रमणिका उपलब्ध नहीं है, हालांकि, 1990-91 से 1992-93 हेतु उपलब्ध औसत औद्योगिक श्रम लागत निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रति श्रम दिवस की औसत श्रम लागत (रु०)
1990-91	109.09
1991-92	125.23
1992-93 (पी)	134.53

देश में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं

271. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में चलाई जा रही गरीबी उन्मूलन योजनाओं का गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के माध्यम से गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए गरीब लोगों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) देश में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन स्कीमें हैं:— ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस), शहरी क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई), और प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमस आईयूपीईपी) लागू किए जा रहे हैं, उन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**।

(ख) और (ग) आठवीं योजना (1992-93 से 1996-97) के दौरान आई आर डी पी के अंतर्गत 108.06 लाख परिवारों को सहायता दी गयी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जे आर वाई और ई ए एस के अंतर्गत 5056.40 मिलियन श्रम दिवस रोजगार सृजित किए गए। एन आर वाई के दो उप स्कीमों के अंतर्गत 7.68 लाख लाभग्राहियों को शहरी माइक्रो उद्यम (एस यू एम ई) के अंतर्गत सहायता दी गयी तथा शहरी क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार स्कीम के अंतर्गत 263.50 लाख श्रम दिवस रोजगार सृजित किए गये।

(घ) इन कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा की जाती है तथा इनकी प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए समय-समय पर दिशा निर्देशों और कार्यक्रम सार में परिवर्तन किए जाते हैं। नौवीं योजना के वास्ते केन्द्र प्रायोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए अधिक विस्तृत कार्य किए जा रहे हैं।

विवरण

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के ब्यौरे

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आई आर डी पी)

(i) **ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आई आर डी पी):** 1980 से देश के सभी भागों में कार्यान्वित की जा रही आई आर डी पी एफ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम के तहत देश में कुछ ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य के ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर राज्यों को निधियों का आवंटन किया जाता है।

आई आर डी पी का उद्देश्य सब्सिडी के रूप में सहायता तथा बैंक ऋण के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे उत्पादक परिसम्पत्ति अर्जित करने में समर्थ हो सकें तथा सतत् आधार पर गरीबी की रेखा को पार करने हेतु उपयुक्त कौशल का विकास का सकें। लक्षित समूह में प्रमुखतः छोटे तथा सीमान्त किसान, कृषि श्रमिक तथा ग्रामीण दस्तकार शामिल हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1991-92 की कीमतों पर 1100 रुपये की गरीबी की रेखा से नीचे है। लक्षित समूह में कुछ श्रेणियों का कवरेज सुनिश्चित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 50 प्रतिशत महिला 40 प्रतिशत तथा शारीरिक रूप से अपंग 3 प्रतिशत सब्सिडी की उच्चतम सीमा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए 6,000 रुपये है, अन्यों के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) क्षेत्रों में 5,000 रुपये और सामान्य क्षेत्रों में 4,000 रुपये है। हाल ही में प्रशिक्षित साक्षर युवकों के लिए एक नई श्रेणी शुरू की गई है जिसके लिए देय सब्सिडी परियोजना लागत की 50 प्रतिशत या 75000 रु०, जो भी कम हो, है। इसके अलावा पांच लाभार्थियों के समूह के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या 1.25 लाख रु०, जो भी कम हो, कर दिया गया है।

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्राइसेम) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास (डीडब्ल्यूसीआरए) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की दो महत्वपूर्ण उप स्कीमें हैं।

(ii) **जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई):** जे आर वाई एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जो 1989 से चल रहा है। जे आर वाई का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन करना है। दूसरा उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सतत् रोजगार तथा उनके सीधे और लगातार लाभों के लिए ग्रामीण गरीबों के हित में परिसम्पत्तियों का सृजन करना ताकि इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समग्र जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस योजना के तहत देश में कुल ग्रामीण गरीबों की संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर राज्य तथा संघ राज्यों को निधियां आबंटित की जाती हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में जिलों के पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर आवंटन किये जाते हैं, जिसमें

जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात तथा प्रति कृषि कामगारों, कृषि उत्पादन के विपरीत बराबर भारांश को ध्यान में रखा जाता है। निधियों को (संशोधित वितरण के अंतर्गत) ग्राम पंचायतों, अंतर मध्य श्रेणी पंचायतों तथा जिला पंचायतों तथा जिला पंचायतों के बीच 65:15:20 के अनुपात में वितरित किया जाता है।

(iii) **रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस):** रोजगार आश्वासन स्कीम 2 अक्टूबर, 1993 को 1752 अधिनिर्धारित पिछड़े इलाकों, जो सूखा प्रवण, मरुस्थल, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं तथा जहां पर पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू थी, में आरम्भ की गई थी इस स्कीम का अब 1997-98 से देश के सभी ब्लाकों में विस्तार कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत अकुशल सार्वजनिक कार्य 100 दिन के लिए सुनिश्चित रोजगार उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराना होता है जो कम कृषि कार्य के मौसम के दौरान इसकी तलाश में रहते हैं। इसका दूसरा लक्ष्य ग्रामीण आधारभूत संरचना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है, जल तथा मृदा संरक्षण कार्य, लघु सिंचाई कार्य, ग्रामीण सड़के, प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण तथा आंगनवाड़ी तथा लाभान्वित किसानों के निजी जमीन पर बागवानी क्रियाकलाप इस स्कीम के तहत अनुमत्य कार्य है। वर्ष 1995-96 से जलसंभर विकास कार्य आरम्भ करने के लिए निधियों का 50 प्रतिशत नियत किया गया है। रोजगार आश्वासन स्कीम आवश्यकता आधारित स्कीम है। और इसलिए कोई राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम कृषि कार्य वाले मौसम के दौरान सार्वजनिक कार्य की मांग के अनुरूप निधियों की मांग कर सकते हैं।

शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (यूपीएपीएस):

शहरी गरीबी को सुलझाने हेतु शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर निम्न तीन शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है:—

(क) नेहरू रोजगार योजना (ख) प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

इन दोनों स्कीमों को 60:40 (केन्द्र का हिस्सा) राज्य का हिस्सा के अनुपात में निधियां दी जाती हैं। विभिन यूपीएपीएस के प्रमुख/लक्षण नीचे दिए जा रहे हैं:

नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई):

शहरी गरीबी द्वारा उपस्थित चुनौती के प्रत्युत्तर में सरकार द्वारा 1989 में नेहरू रोजगार योजना आरम्भ की गई थी। यह शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए लक्षित है। (अर्थात 1991-92 की कीमतों के अनुसार 11850 रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार) योजना के तीन घटक हैं।

(1) **शहरी माइक्रो उद्यम स्कीम (एसयूएमई):** एसयूएमई गरीबों को उनका कौशल उन्नत करने और स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के अन्तर्गत परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की सब्सिडी मुहैय्या कराई जाती है। जिसकी अधिकतम सीमा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 5000 रुपये और सामान्य लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 4000 रुपये है। परियोजना लागत की शेष राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 15,000 रुपये और सामान्य प्राप्तकर्ताओं के लिए 12,000 रुपये तक की अधिकतम राशि, ऋण के रूप में बैंकों से उपलब्ध होती है। स्कीम सभी शहरी बस्तियों पर लागू है।

(2) **शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम (एसयूडब्ल्यूई):** एसयूडब्ल्यूई का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए शहरी गरीबों के श्रम का उपयोग करके उन्हें मजदूरी पर रोजगार मुहैया कराना है यह स्कीम एक लाख से कम जनसंख्या वाले सभी शहरी क्षेत्रों में लागू है।

(3) **आवास और आश्रय स्थल उन्नयन स्कीम (एसएचएसयू)** एसएचएसयू का उद्देश्य शहरी जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास और आश्रय स्थल उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और निर्माण कौशल का उन्नयन करना है। आवास/आश्रय उन्नयन के लाभ प्राप्तकर्ताओं को इस स्कीम के अंतर्गत 9950 रुपये की उच्चतम सीमा तक ऋण और 1000 रुपये की उच्चतम सीमा तक सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। यह स्कीम 20 लाख से नीचे की जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों के लिए लागू है।

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री का आईयूपीईपी):

शहरी गरीबी समस्याओं, खासकर छोटे नगरों में जहां पर्यावरण और विकास के लिए योजना हेतु संसाधनों की कमी के कारण स्थिति बहुत ही गंभीर है की गंभीरता

और पेचीदगी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री ने दिनांक 15.8.94 को शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री का आईयूपीईपी) के नाम से एक एकीकृत स्कीम की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम का प्रथम उद्देश्य केन्द्र/राज्य सरकारों, मंत्रालयों/विभागों और साथ ही गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों को मिलाकर शताब्दी के अंत तक लक्षित क्षेत्रों में शहरी गरीबी के उन्मूलन के लिए लक्षित कार्यक्रम के सहभागी क्रियान्वयन की परिकल्पना के माध्यम से उपयुक्त कार्यनीति के साथ एक समेकित ढंग से शहरी गरीबी के मूल कारणों पर प्रहार करना है। नये कार्यक्रम के तहत विशिष्ट लक्ष्य हैं: (क) सामाजिक क्षेत्रक लक्ष्यों की प्रभावी उपलब्धि, (ख) सामुदायिक प्राधिकार (ग) सतत् समर्थन प्रणाली के माध्यम से कवरेज नये कार्यक्रम के तहत विशिष्ट लक्ष्य हैं: (घ) रोजगार सृजन तथा कौशल उन्नयन, (ङ) स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सुधार और पर्यावरणीय सुधार।

कार्यक्रम के प्रमुख संघटक हैं:

(क) सूक्ष्म उद्यमों और कौशल विकास की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार, (ख) बुनियादी भौतिक सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पर्यावरणीय सुधार, (ग) आश्रय उन्नयन (घ) सामुदायिक संगठन और प्राधिकार (ङ) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज) को सुदृढ़ीकरण, (च) राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि (एनयूपीईएफ) की स्थापना, (छ) शहरी डाटाबेस के क्रियाकलापों और विकास का प्रशिक्षण (ज) गैर सरकारी संगठनों का सम्मिलन।

यह कार्यक्रम 50000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी II नगरों में जिनकी संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 345 है के लिए लागू होगा। इस स्कीम का विस्तार उत्तर पूर्व राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के 72 जिला नगरों में किया गया है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अधीन व्यय की गई धनराशि

272. **श्री जनार्दन यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और उससे निकले परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं को लागू करने हेतु आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्य सरकारों ने इस धनराशि को उक्त योजना पर व्यय करने की बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए व्यय किया है और उसका ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (ग) देश में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) है।

8वीं योजना के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार कुल आवंटन और व्यय अनुपत्र में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 181, अनुपत्र संख्या 9]**

नोडल मंत्रालय (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) द्वारा राज्यों को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) को जारी की गई निधि का दूसरी स्कीम के लिए विचलन न किया जाए। यद्यपि, किसी स्कीम के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए निधि के विचलन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो वे मंत्रालय द्वारा आवश्यक पूछताछ और उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार को भिजवा दिए जाते हैं।

Annual Rate of Economic Growth

273. SHRI ASHOK MITRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the country's annual rate of economic growth from 1991-92 to 1996-97;

(b) the rates of growth in agriculture, industry and services, respectively, during the same period; and

(c) whether these rates of growth exceed the rates of growth achieved in the 1980's?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) and (b) A statement is annexed *(See below)*.